भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3549

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

ऋण जमा अनुपात में विसंगति

3549. श्री अरुण गोविल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विसंगति से अवगत है कि नोएडा, गाजियाबाद में उत्पादन गतिविधियों में संलग्न कारखानों को दिए गए ऋणों को इन जिलों के ऋण जमा (सीडी) अनुपात में शामिल नहीं किया जाता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात तुलनात्मक रूप से कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):दिनांक 1.4.2025 के आरबीआई लीड बैंक योजना – मास्टर परिपत्र आरबीआई/2025-26/04एफआईडीडी.सीओ.एलबीएस.बीसी.सं.03/02.01.001/2025-26, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर स्पष्ट करता है कि राज्य स्तर पर बैंकों के ऋण जमा (सीडी) अनुपात की निगरानी "उपयोग के स्थान के अनुसार ऋण+ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई कुल संसाधन सहायता" के रूप में और जिला स्तर पर "स्वीकृति के स्थान के अनुसार ऋण" के रूप में की जाए। इसमें आगे यह उल्लेख किया गया है कि यदि ऋण प्रस्ताव जिला स्तर पर प्राप्त होते हैं लेकिन मंजूरी के अधिकार की सीमाओं के कारण स्वीकृत नहीं होते हैं और बैंक के मुख्यालय/नियंत्रण कार्यालयों में स्वीकृत होते हैं तथा शाखाओं के माध्यम से जिलों में उपयोग/संवितरित होते हैं, उनको जिला स्तर पर स्वीकृत एवं उपयोग किए गए ऋण के रूप में माना जाता है। ऐसे ऋणों को जिले के ऋण-जमा अनुपात में शामिल किया जाता है। जबकि राज्य में कारखानों के लिए उपयोग किए जा रहे सभी ऋणों को उस राज्य के ऋण-जमा अनुपात में शामिल किया जाता है, जिले के बाहर स्वीकृत और संवितरित किए गए ऋण, यद्यपि उसी जिले में कारखानों के लिए उपयोग किए जा रहे हों, उस जिले के ऋण-जमा अनुपात में शामिल नहीं किए जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), उत्तर प्रदेश ने यह सूचित किया है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में उत्पादन संबंधी कार्यकलापों में लगे कारखानों को संवितरित ऋण उत्तर प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में गिने जाते हैं क्योंकि अग्रिम की गणना उपयोग के स्थान के अनुसार की जाती है।

इसके अलावा, पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जीबी नगर और गाजियाबाद के ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है। राज्य का ऋण-जमा अनुपात दिनांक 31.03.2021 को 51.7% से बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को 59.04% हो गया है। इसी अवधि के दौरान जीबी नगर और गाजियाबाद का ऋण-जमा अनुपात क्रमश 54.3% से बढ़कर 60.7% और 48.5% से बढ़कर 58.6% हो गया है।

*****